पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 219/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

देवीसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत साकिन भनाई।

- प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादभूमि में प्रतिवादी के हक हिस्सा तक वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा वाद भूमि भनाई के खसरा सं0 76 की कुल 2.190 है0 भूमि में देवीसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत के हिस्सा की खातेदारी कृषि भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है व तहसीलदार वादभूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार ले। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.5.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 219/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

देवीसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत साकिन भनाई।

– प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थिति : पेरोकार राज : **वादी**
निर्णय **दिनांक :**

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भनाई के खसरा सं0 76 की कुल 2.190 है0 भूमि वर्तमान में देवीसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि को बिना रूपान्तरण करवाये प्लाट काटकर व मकान बनाकर आवासीय कॉलोनी का निर्माण कर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है। प्रतिवादी विवादित कृषि भूमि का खातेदार है उक्त खातेदारी भूमि उसे कृषि प्रयोजनार्थ दी गई है जिस पर अन्य गैर कृषि कार्यो में उपयोग के लिए सक्षम स्वीकृति व संपरिवर्तन न कराकर नियमों का उल्लंघन किया है। कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में कृषि उपयोग के लिए कुल भूमि के 1/50 हिस्से पर निर्माण कार्य कर सकता है, उससे अधिक पर नहीं। खसरा सं0 76 की कुल 2.190 है0 खातेदारी भूमि में हो रहे गैर कृषिक कार्यो के लिए खातेदार दण्ड के भागीदार है। विवादित कृषि भूमि को खातेदार द्वारा बिना स्वीकृति के 1/50 हिस्से से अधिक भूमि के अकृषि कार्य में उपयोग कर रहा है। प्रतिवादी सद्भावी काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की तामील हो चुकी है, प्रतिवादी को बार बार आवाज लगाई गई न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं आया। इसलिए उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

साक्ष्य वादी में संदीप चौधरी हाल तहसीलदार भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति जमाबन्दी ग्राम भनाई सम्वत् 2070–73 प्रदर्श 1, आंशिक नजरी नक्शा प्रदर्श 2, पटवारी रिपोर्ट प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस पेरोकार राज की ओर से सुनी गई। अपनी बहस में पेरोकार राज ने जाहिर किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषक को मात्र कृषि उपयोग के लिए खातेदारी अधिकार हासिल है। धारा 177 काश्तकारी

अधिनियम के तहत अहितकर कार्य करने या काश्तकारी अधिनियम की शर्तें भंग करने पर (कृषक) खातेदार को बेदखल किया जा सकता है। इस प्रकार वाद भूमि को सिवाय चक घोषित किया जाकर प्रतिवादी को भूमि से बेदखल किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में स्टेट की ओर से भू अभिधारी देवीसिंह के विरूद्ध विवादित कृषि भूमि को अकृषि कार्यों के उपयोग में लिए जाने का मामला है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व नियमों के अनुसार कृषक अपनी काश्तकारी का 1/50 वां हिस्सा या अधिकतम 500 वर्गमीटर अकृषि कार्यों जैसे निवासी, कुआ, पशुशाला, भण्डारगृह के लिए उपयोग में ले सकता है।

धारा 177 में स्पष्ट प्रावधान है कि भू अभिधारी ऐसा कोई कार्य जो जोत की भूमि के लिए अहितकर हो या उसने ऐसी शर्त भंग की हो तो बेदखली का दाई होगा।

हस्तगत प्रकरण में सरकार की ओर से तहसीलदार भादरा के वाद पत्र व साक्ष्य पटवारी रिपोर्ट मौका पर मुख्य परीक्षा से ये साबित है कि भू अभिधारी प्रतिवादी देवीसिंह ने कृषि भूमि के रकबा 2.190 है0 का प्लाट काटकर व मकान बनाकर अकृषि कार्यों में उपयोग बिना किसी विधि सम्मत आदेश, सम्परिर्वतन आदेश, लाईसेंस, परमिट के किया है। अत : अकृषि कार्य जोत के कृषि प्रयोजन के प्रतिकूल है। चूंकि प्रतिवादी बाद सम्मन तामील उपस्थित नहीं आया है न ही कोई जबाब पेश किया है। दूसरी तरफ वादी अपने पक्ष को साबित करने में सफल रहा है व प्रतिवादी वाद भूमि भनाई के खसरा सं0 76 की कुल 2.190 है0 में 16.013 है0 का खातेदार काश्तकार है। चूंकि वादी द्वारा अकेले प्रतिवादी के विरूद्ध ही वाद लाया गया है।

अतः वादभूमि में प्रतिवादी के हक हिस्सा तक वाद वादी डिक्री किया जाता है कि वाद भूमि भनाई के खसरा सं0 76 की कुल 2.190 है0 भूमि में देवीसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत के हिस्सा की खातेदारी कृषि भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है व तहसीलदार वादभूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार ले। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ